



Estd.1972

ALL INDIA KENDRIYA VIDYALAYA TEACHERS' ASSOCIATION

(Reg. No. 10296)

DEJURE RECOGNISED BY

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, MINISTRY OF EDUCATION, GOVT. OF INDIA

CAMP OFFICE: EB-106, II FLOOR, MAYA ENCLAVE, HARI NAGAR, NEW DELHI-110064

M B AGRAWAL
General Secretary, AIKVTA
&
Leader (Staff Side) JCM (KVS)
09414455832, 09887733117 (Mob.)
E-Mail-mbaaikvta@gmail.com

Correspondence Address
42-B Mitra Nagar Colony
Opposite Super King School
Ram Nagar Sodala,
JAIPUR (Raj.)-302019
Web Site :www.aikvtahq.in

S R TIWARI
President, AIKVTA
&
Member (Staff Side) JCM (KVS)
09407000790,
E-Mail-tiwarishriram07@gmail.com

F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/289

दिनांक : 12/05/2021
द्वारा-ई-मेल

प्रति

माननीय आयुक्त महोदया,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय,
नई दिल्ली - 110016

विषय: कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों का बीमारी से ग्रसित होने पर या आपातकाल स्थिति में नजदीकी अस्पताल या फिर किसी भी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा लेने पर चिकित्सा पर व्यय की गई राशि का भुगतान चिकित्सा परिचर्या नियम (MEDICAL ATTENDANCE RULES) के तहत करवाये जाने के संबन्ध में आग्रह ।

महोदया,

सविनय निवेदन है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक कोरोना महामारी के दौरान भी छात्रों एवं संस्था के हित में पूरी ईमानदारी एवं मेहनत से अपना-अपना कार्य कर रहे थे/हैं । इस दौरान सभी शिक्षक भारत सरकार / राज्य सरकार /स्थानीय प्रशासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत एस.ओ.पी. की पालना करते हुए जनवरी 2021 से ग्रीष्म अवकाश होने तक कक्षा छटवीं से लेकर कक्षा बारहवीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन /ऑफ़लाइन माध्यम से ले रहे थे । इस दौरान बहुत से शिक्षक साथी एवं उनके पारिवारिक सदस्य कोरोना महामारी से ग्रसित हो गये एवं कुछ शिक्षक साथी कोरोना महामारी के कारण मृत्यु के शिकार हो गये ।

महोदया, अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ, केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों से लगातार प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आपसे आग्रह कर रहा है कि इन विषम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के बीमारी से ग्रसित होने पर या फिर आपातकाल स्थिति में नजदीकी अस्पताल या फिर किसी भी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा लेने पर चिकित्सा पर व्यय की गई राशि का भुगतान नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए चिकित्सा परिचर्या नियम (MEDICAL ATTENDANCE RULES) के तहत करवाने का श्रम करें ।

सकारात्मक निर्णय की आशा के साथ ।

सधन्यवाद ।

भवदीय**मुकुट बिहारी अग्रवाल**

राष्ट्रीय महासचिव

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय अपर आयुक्त महोदया शैक्षिक /प्रशासन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली ।
2. माननीय संयुक्त आयुक्त महोदय (शैक्षिक /प्रशासन/ कार्मिक / वित्त) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली ।